

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

गां.क:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / /2025

प्रति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जम्पा पिता/पत्नि दल्ला निवासी पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली के राजस्व ग्राम पाण्डोली में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 170 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन पूर्विना किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन पूर्विना का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(Signature)

तहसीलदार चित्तौडगढ

जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 835

दिनांक:- 17 / 10 /2025

निमित्त,

पटवार हल्का पाण्डोली

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जम्पा पिता/पत्नि दल्ला राजस्व ग्राम पाण्डोली पटवार हल्का पाण्डोली की खाता संख्या 170 में जाति/नाम/जिम्मन माडरी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जम्पा पिता/पत्नि दल्ला की जाति/नाम/जिम्मन माडरी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का पाण्डोली राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ